न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री सुखाराम पिण्डेल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः– 3/31/2023 दायर दिनांकः– 07/12/2023
जीसीएमएस न0ः–2023/634 निर्णय दिनांक 28/05/2024

वउनवान

1. विष्णु पुत्र रेवडा जाति मीना निवासी नाटोज तहसील कठूमर जिला अलवर। प्रार्थी

बनाम

1. रामप्रसाद पुत्र गोविन्दा जाति मीना निवासी नाटोज तहसील कठूमर। जिला अलवर। अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थितः–श्री भागचन्द जैन– अधिवक्ता प्रार्थी

–ःआदेशः–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि आराजी खसरा नम्बर 293/812 रकबा 0.43 हैक्ट वाके ग्राम नाटोज तहसील कठूमर मे स्थित है। जो आराजी प्रार्थी की खातेदारी की दर्ज रेकॉर्ड आराजी है। जिस पर प्रार्थी काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। खसरा नम्बर 293 रकबा 0.44 हैक्ट वाके ग्राम नाटोज तहसील कठूमर अप्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है, जिस पर अप्रार्थी काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। खसरा नम्बर 293/812 खसरा नम्बर 293 के भिडवां स्थित है। प्रार्थी व अप्रार्थी के दोनों खेतों के बीच पहले कच्ची मेड स्थित थी धीरे–धीरे बीच में स्थित मेड को खत्म कर प्रार्थी अपनी खातेदारी की आराजी में मिलाकर रकबा ... जिस पर अप्रार्थी ने अपने हिसाब से पुनः मेड बना दी गई है, जो कि बिना किसी ... बना दी है और प्रार्थी की जमीन को अपने हिस्से की आराजी में मिला ली है। अप्रार्थी ने ... प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 293/812 वाके ग्राम नाटोज पर कब्जा कर ... है। प्रार्थी ने अप्रार्थी से कहा कि दोनों के खेतों की पैमाईश करवा के बीच में डौर डाल देते है, तो अप्रार्थी ने पैमाईश के लिये भी मना कर दिया। जिस कारण प्रार्थी स्वयं के खेत खसरा नम्बर 293/812 की पैमाइश करा कर दोनों

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.19 10:11:11 IST
Reason: SelfAttested

खेतों के मध्य पत्थरगढी कराना चाहता है। अतः प्रार्थी ने उक्त आराजी की पैमाइश कराकर सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी कराये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र. दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तामीली नोटिस जरिये डाक भिजवाया गया। दिनांक 28.05.2024 को अप्रार्थी बावजूद रजि0 डाक सूचना के उपस्थित नही आये। अतः उनके विरूध्द एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ सत्य प्रतिलिपी जमाबन्दी हाल व छाया प्रति नक्शा ट्रेस वाके ग्राम नाटोज की छाया प्रति पेश की है, जो शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली के तथ्यों, प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। मुताबिक जमाबन्दी आराजी खसरा नम्बर 293/812 ग्राम नाटोज तहसील कठूमर प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। मुताबिक नक्शा ट्रेस इस आराजी के तरफ पश्चिम में खसरा नम्बर 293 वाके ग्राम नाटोज स्थित है जो अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी व अप्रार्थी के दोनों खेतों के बीच पहले कच्ची मेड स्थित थी। धीरे– धीरे बीच में स्थित मेड को खत्म कर अप्रार्थी अपनी खातेदारी की आराजी में मिला कर दबाना चाहते है। जिस पर अप्रार्थी ने अपने हिसाब से पुनः मेड बना दी गई है जो कि बिना किसी पैमाईश के बना दी है। और प्रार्थी की जमीन को अपने हिस्से की आराजी में मिला ली है, जिसके लिये प्रार्थी ने पैमाइश कराने व सीमाज्ञान के पश्चात् पत्थरगढी कराने का निवेदन किया है। अप्रार्थी बावजूद रजि0 डाक सूचना के उपस्थित नहीं आये। पत्रावली के तथ्यों, प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड के अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार कठूमर को आदेशित किया जाता है कि वो आराजी खसरा नम्बर 293/812 रकबा 0.43 हैक्ट वाके ग्राम नाटोज की पैमाइश कर खसरा नम्बर 293 व खसरा नम्बर 293/812 वाके ग्राम नाटोज के बीच विधि के अनुसार पैमाइस/सीमाज्ञान कराकर प्रार्थी के खर्चे पर पत्थरगढी कराकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे। आदेश की तहरीर तहसीलदार कठूमर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर होकर दाखिल दफ्तर हो। सुनाया।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/5/24

सुखाराम पिण्डेल(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.19 10:11:11 IST
Reason: SelfAttested